न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 14/2021 राजस्व अपील

1. बदरी पुत्र रामपाल जाति माली निवासी मोहचिंगपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा

अपीलान्ट

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये उप तहसीलदार बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश उप तहसीलदार बहरावण्डा दिनांक 24.8.2018 मुकदमा उनवानी सरकार बनाम बदरी मु. नं. 138/2018 अन्तर्गत धारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति : श्री अशोक कुमार जोशी, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: श्री राजेश शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:— निर्णय :—

दिनांकः 21.06.2024

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा के समक्ष इस आशय की पेश की गई कि अपीलांन्ट ने ग्राम मोहचिंगपुरा स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 187 के रकबा 0.65 है. सम्वत 2075 में काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट के आधार पर ही बिना अपीलान्ट की तामील हुये बिना एवं अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का मौका दिये बगैर ही निर्णय पारित कर अपीलान्ट को 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा, पेनल्टी व बेदखली का निर्णय दिनांक 24.08.2018 पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा के उक्त निर्णय दिनांक 24.8.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून नियम उप नियम व पत्रावली के तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट ने किसी भी चरागाह भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है। अपीलान्ट की विधिवत तामील भी नहीं हुई है। अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय ने समुचित सुनवाई व साक्ष्य सबूत पेश करने का मौका भी नहीं दिया है। पीडित पक्ष को पूर्ण सुनवाई का मौका देने के बाद ही निर्णय पारित किया जाना चाहिये। पत्रावली पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का सबूत भी नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.08.2018 निरस्त फरमाया जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:01:55 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
दौसा

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट ने सम्वत 2075 में ग्राम मोहचिंगपुरा में स्थित चरागाह भूमि खसरा नम्बर 187 रकबा 0.65 है. में से 0.13 है. पर बाजरा की काश्त कर एवं 0.52 है. पर पडत जोत कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट को विधिवत नोटिस जारी किया है जो कि अपीलान्ट के ही परिवार वालो ने प्राप्त किया है। अपीलान्ट की विधिवत तामील प्राप्त होन पर अपीलान्ट के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुये निर्णय दिनांक 24.08.2018 पारित कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा, बेदखली व पेनल्टी से दण्डित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली संख्या 138/2018 सरकार बनाम बदरी निर्णय दिनांक 24.08.2018 का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली में रेस्पोडेन्ट बदरी पुत्र रामपाल की तलबी हेतु जारी नोटिस की तामील प्रति पर अपीलान्ट बदरी के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी नहीं होकर किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर है। जिससे यह प्रतीत होता है कि नोटिस के सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट बदरी को जानकारी नहीं हुई और वह अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर सका। ऐसी स्थिति में अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.08.2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार बहरावण्डा को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में विधिक प्रक्रिया के अनुरूप कार्यवाही करते हुए अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का अवसर देकर एवं पश्चातवृति अतिक्रमी होने की स्थिति में पूर्व निर्णय/दस्तावेज को संलग्न करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई [illegible] पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार [illegible] जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 21.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:01:55 IST
Reason: SelfAttested

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा